

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पडेरगांव से पेरी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 10.710 है0 वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल में उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-2, देहरादून के शासनादेश सं0-2882/XVIII(II)/11-18(120)2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं तदकम में संशोधित शासनादेश सं0-397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 व शासनादेश सं0-2173/XVIII(II)/2012-18(120)2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार जिलाधिकारी चमोली के आदेश सं0-1643/छब्बीस-05 (2018-19) दिनांक 26.12.2018 के द्वारा ग्राम पडेरगांव प0वृ0 बूरा तहसील घाट की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0-05 के खसरा सं0-178 रकबा 1.521 है0 मध्ये 0.525 है0, खसरा सं0-201 रकबा 0.711 है0, खसरा सं0-2599 रकबा 2.743 है0 मध्ये 1.949 है0, खसरा सं0-2630 रकबा 3.391 है0 कुल 6.576 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज हैं, ग्राम बूरा प0वृ0 बूरा के ख0खा0सं0-6 के खसरा सं0-373 रकबा 83.934 है0 मध्ये 5.679 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज हैं, ग्राम आला प0वृ0 बूरा के ख0खा0सं0-5 के खसरा सं0-63 रकबा 4.408 है0 मध्ये 1.000 है0, खसरा सं0-71 रकबा 5.366 है0, खसरा सं0-210 रकबा 3.325 है0 मध्ये 1.733 है0 कुल 8.099 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज हैं एवं ग्राम सीकचैक गैरी प0वृ0 बूरा के ख0खा0सं0-4 के खसरा सं0-37 रकबा 0.273 है0, खसरा सं0-431 रकबा 0.325 है0, खसरा सं0-554 रकबा 0.145 है0 मध्ये 0.112 है0, खसरा सं0-711 रकबा 0.100 है0, कुल 0.810 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज हैं एवं ख0खा0 सं0-9 के खसरा सं0-384 रकबा 0.086 है0, खसरा सं0-480 रकबा 0.075 है0, खसरा सं0-510 रकबा 0.095 है0 कुल कुल 0.256 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-10(4) भीटा के रूप में दर्ज हैं, अर्थात् कुल 21.420 है0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उप जिलाधिकारी चमोली की रिपोर्ट के अनुसार उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/अमलदरानद किया जा चुका है।

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या 2643/छब्बीस-05 (2018-2019) गोपेश्वर: दिनांक 06 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली/घाट।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कर्णप्रयाग।

जिलाधिकारी,
चमोली।

जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पडेरगांव से पेरी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 10.710 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 21.420 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/122/2015/एफ0सी0/1049 दिनांक 27.08.2018 की शर्त सं0-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी चमोली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पडेरगांव से पेरी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 10.710 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम पडेरगांव प0वृ0 बूरा तहसील घाट की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0-05 के खसरा सं0-178 रकबा 1.521 है0 मध्ये 0.525 है0, खसरा सं0-201 रकबा 0.711 है0, खसरा सं0-2599 रकबा 2.743 है0 मध्ये 1.949 है0, खसरा सं0-2630 रकबा 3.391 है0 कुल 6.576 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज है, ग्राम बूरा प0वृ0 बूरा के ख0खा0सं0-6 के खसरा सं0-373 रकबा 83.934 है0 मध्ये 5.679 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज है, ग्राम आला प0वृ0 बूरा के ख0खा0सं0-5 के खसरा सं0-63 रकबा 4.408 है0 मध्ये 1.000 है0, खसरा सं0-71 रकबा 5.366 है0, खसरा सं0-210 रकबा 3.325 है0 मध्ये 1.733 है0 कुल 8.099 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज है एवं ग्राम सीकचैक गैरी प0वृ0 बूरा के ख0खा0सं0-4 के खसरा सं0-37 रकबा 0.273 है0, खसरा सं0-431 रकबा 0.325 है0, खसरा सं0-554 रकबा 0.145 है0 मध्ये 0.112 है0, खसरा सं0-711 रकबा 0.100 है0, कुल 0.810 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज है एवं ख0खा0 सं0-9 के खसरा सं0-384 रकबा 0.086 है0, खसरा सं0-480 रकबा 0.075 है0, खसरा सं0-510 रकबा 0.095 है0 कुल कुल 0.256 है0 भूमि, जो कि जो कि नॉनजेडए श्रेणी-10(4) भीटा के रूप में दर्ज है, अर्थात् कुल 21.420 है0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पास नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0-2173/XVIII(II) /2012-18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 1643 / छब्बीस-05 (2018-2019) गोपेश्वर दिनांक: 26 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट, कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली/घाट।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

जिलाधिकारी,
चमोली।

सेवा में

श्रीमान महोदय
जिला कारागार प्रशासक
जमशेदपुर

महोदय

P.A


SOMC

08/01/2018

दुसरे भाग में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जमशेदपुर के
आदेश संख्या 1643/प्र.वि.सि-05(2018-2019) गोपेखर
दिनांक : 26 दिसम्बर 2018 के अनुसार स्वयंसेवक-ग्राम-
द्वारा जो जमीन क्षेत्र द्वारा के खेती की खेती सं- 6 जो कि क्षेत्र
9(3)(5) कृषि योग्य बंजर भूमि में वर्ग खसरा नं- 373 खसरा
03.934 है जो 5.679 है भूमि, ग्राम भाला जो जमीन क्षेत्र द्वारा
के जो कि दो खेती सं- 5 क्षेत्री 9(3)(5) कृषि योग्य बंजर भूमि
में खसरा नं 63 खसरा 4.408 है जो 1.000 है खसरा नं- 71 खसरा
5.366 है खसरा नं - 210 खसरा 3.325 है जो 1.733 है जो
8.049 है भूमि, ग्राम-सीक-चल गेरी जो जमीन क्षेत्र द्वारा - के जो कि
जो खेती सं- 4 - जो कि क्षेत्री 9(3)(5) कृषि योग्य बंजर भूमि में वर्ग
खसरा नं - 37 खसरा 0.273 है खसरा नं- 431 खसरा 0.325 है खसरा
नं - 554 खसरा 0.145 है जो 0.112 है खसरा नं 711 खसरा 0.100 है
कुल खसरा 0.810 है भूमि, ग्राम-सीक-चल गेरी के जो कि दो खेती सं-
के खेती सं- 9 जो कि क्षेत्री 10 (4) भूमि क्षेत्रों के जो कि दो खेती सं-
नं 384 खसरा 0.086 है खसरा नं 480 खसरा 0.075 है खसरा नं 510
खसरा 0.095 है कुल 0.256 है भूमि, ग्राम-पडेरगांव के जो जमीन क्षेत्र द्वारा के
जो कि दो खेती सं- 5 - बंजर, क्षेत्री 9(3)(5) कृषि योग्य बंजर भूमि में खसरा
नं 178 खसरा 1.521 नं 0.525 है खसरा नं 201 खसरा 0.711 है खसरा
नं 2599 खसरा 2.743 है जो 1.949 है खसरा नं 2636 खसरा 3.371 है
कुल 6.576 है भूमि सम्पूर्ण खसरा 21.420 है भूमि ग्रामगुल्लुप-समिति सड़क मार्ग
पडेरगांव से पुरी निर्माण हेतु सड़क मार्ग परियोजना हेतु जो कि जिसमें ने नाम कलकत्ता नं
खसरा नं 1000 की गयी जो सड़क है ।

संदर्भ - नं. 1000/प्र.वि.सि-05/2018-2019

प्रमाणित
जमशेदपुर
08/01/2018

नकल (गोपनीय) खलौनी

माग - २२

१० अक्टोबर - २०१९

अति-घाट

खण्ड १ (उ) (इ) मध्य प्रदेश वन विभाग

जिला चण्डी

1	2	3	4	5	6
6	बंगल	17	-	1.158	मुताबिक अगस्त वीमान खलाधिकारी महेश चमेली के आदेश संख्या 1643/ इकासि-05 (2018-2019) गोपेश्वर विनांक : 26 दिसम्बर 2018 के अनुसार तबसु नं- 373 अजी- 83.934 हे. मं 5.679 हे. अमि वन विभाग के नाम सामल परामर्श किया।
		18	-	0.208	
		x	-	x	
		x	-	x	
		373	-	83.934	
		x	-	x	
		x	-	x	
		4163	-	0.014	
		4164	-	0.006	
	योग-	157	-	125.633	

मेम्बर
02/10/19
गोपनीय

नकल खलौनी मखल से तैयार किया।

मेम्बर
04/10/19
गोपनीय
तहसील-घाट
जिला-चण्डी

श्री ३० निवेदन - ब्राह्मण

नगर निगम से वसुधायी

ब्राह्मण - ब्राह्मण

पृथगी १(३)(६) कृषि योग्य अथ नगर अर्थ

१	२	३	४	५	६
५	ब्राह्मण	३७	-	०.०२०	मृतपितृ अन्तर्गत पृथगी संख्या १६५३/६६६६
		६३	-	४.५०८	महोदय-ब्राह्मण के अन्तर्गत संख्या १६५३/६६६६
		५	-	५	-०५ (२०१८-२०१९) गोपद्वार-खिलातः २६ पिसवार
		७१	-	५.३६६	२०१८ के अनुसार स्वसरा के ६३-२५-५०-६०
		५	-	५	के १.०००६० स्वसरा के ७१-२५-५०-६०
		५	-	५	स्वसरा के २१० वचना ३.३२५६० मं० १.७३३६०
		२१०	-	३.३२५	कुल- ८.०९९६० अन्ति वन खिलात के नाम अन्तर्गत
		११८२	-	२.९९९	द्वारा मंद विद्या, नगर निगम से
	योग	१७८	-	९५.२९३	

नगर वसुधायी अन्तर्गत से उपाय विद्या

नगर निगम से उपाय विद्या

नगर निगम से उपाय विद्या

पेजी १(३)(ड.) कुछि योग्य बण्ड प्रडि

१	२	३	४	५	६	
५	बाजार	३	-	०.०१५		मुलाबिके माउना पीपान खिनाधिकारी
		x	-	x		महोदय - चमोली के माउना संख्या १६५३/
		३७	-	०.२७३		द्वितीय - ०५ (२०१८-२०१९) गोपेश्वर जिमांक :
		x	-	x		२६ डिसेम्बर २०१८ के अनुसार खासरा से -
		५३१	-	०.३२५		३७ रजमा ०.२७३ हे अनुसार से - ५३१ रजमा
		x	-	x		०.३२५ हे अनुसार से - ५५५ रजमा ०.१४५ हे
		५	-	x		से ०.११२ हे अनुसार से - ७११ रजमा ०.१०० हे
		५५५	-	०.१४५		कुल रजमा ०.८१० हे प्रति वन विभाग के नदि
		x	-	x		भारत दरमद विभाग
		७११	-	०.१००		१००० रजमा
		७१७	-	०.०३५		
	योग	५५	-	२.०७६		

नगरा खसोनी काउल ह तंभाट विभाग

१००० रजमा
महोदय - चमोली
जिला - चमोली

०५

पंजीकृत मकल जे विरुद्ध वेवतोनो

ग्राम - बमिक-पंक मेरी

शुभ शुभ निवेदन - बुरा

08-08-08

जिला-चमोली

धोनी 10-(4) अन्य कार्यों से अक्षयित धर्मि-

1	2	3	4	5	6
9	भोरा	384 x 480 x 510 x 708	- - - - - -	0.086 - 0.075 - 0.095 - 0.020	मुताबिके बादिना सीमान लिहाइजरी महोप-चमोली के अदिन संख्या 1643/ इक्कासि - 05 (2018-2019) गोपेवर (जिमाक): 26 दिसम्बर 2018 के मनुसा खसरा नं-384 खसरा 0.086 हेक्टर खसरा नं 480 खसरा 0.075 खसरा नं 510 खसरा 0.095 हेक्टर खसरा 0.256 हेक्टर भूमि वन-जिमा के नाम अमलसराम (जिमा)
- योग		16	-	0.464	

मामु
महोप-चमोली

मकल खसरा मकल के खसरा-जिमा

5.7

मामु
महोप-चमोली
महोप-चमोली